

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

बल्लभ भवन, भोपाल-462004

---0---

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2001

क्रमांक एच. 5/10-3/2001 गठ 110 अधिवहन (वनोपज) विधिम 2000 की धारा-5 में प्रदत्त वस्तुओं के प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न लिखित वनोपज के लिये परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है :-

क्रमांक	वनोपज वन नाम	देय शुल्क
1.	लाईम स्टोन, डोलोमाईट, फायर क्ले, मैगनीज, कोपर, रॉक फास्फेट, पायरोफिल्लाईट, डायारपोर, ओकर, बक्शाइट, आगरन, केलसाईट, कोयला, कर्नाट, सिलिका सैंड, ग्रेल, स्लेट, सोप स्टोन	7 रु० प्रति टन
2.	ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मार्बल एवं मिट्टी फथर	4 रु० प्रति घन मीटर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(रतन पुरवार)

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग